



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 2953 वर्ष 2026

दशरथ

याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	चरण सिंह
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सीएससी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसका केस नंबर 05046/2018 और कंप्यूटर केस नंबर T201814360105046 था। उक्त मामले में, प्रतिवादी संख्या 3, तहसीलदार, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर द्वारा दिनांक 13.10.2025 को ग्राम सभा के खिलाफ एक आदेश पारित किया गया था और याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी नोटिस वापस ले लिया गया था।
2. उपरोक्त से व्यथित होकर, श्री जयनाथ ने स्वयं को ग्राम सभा/प्रतिवादी संख्या 5 का सदस्य बताते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के तहत अपील दायर की, जिसे अपील संख्या 5561/2025 और कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या D202514360005561 के रूप में दर्ज किया गया। उक्त अपील प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा स्वीकार कर ली गई और प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 06.01.2026 के आदेश द्वारा मामले को वापस भेज दिया।
3. उपरोक्त से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दायर अपील में याचिकाकर्ता, जो एक आवश्यक पक्षकार है, को विपक्षी पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को न तो प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दायर अपील में प्रतिवादियों में से एक के रूप में शामिल किया गया था और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था, इसलिए यह आदेश एकतरफा तरीके से पारित किया गया है। अतः इसे रद्द किया जाना चाहिए।
5. इसके जवाब में, प्रतिवादी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दायर अपील में याचिकाकर्ता को विधिवत सुना गया था।
6. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के आंतरिक पृष्ठ-2 के पैराग्राफ-2 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दिए गए तर्क अभिलेख के विरुद्ध हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. इस मामले को देखते हुए, न्यायालय की प्रथम दृष्टया यह राय है कि रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
8. मामले की पैरवी कनिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की जा रही है, इसलिए इस मामले को न केवल निचली अदालत यानी प्रतिवादी संख्या 3, तहसीलदार (न्यायिक), तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर के समक्ष वापस भेजा जाएगा, बल्कि निचली अदालत को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 06.01.2026 को पारित आदेश में हस्तक्षेप किए बिना, मामले का नए सिरे से, कानून के अनुसार सख्ती से निर्णय करे।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3 इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मामले का नए सिरे से निर्णय करेगा।
10. उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

19 फरवरी, 2026
स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"